

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—28 / 2013

संस्थित दिनांक—09.01.2013

फाइलिंग नं. 234503002482013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

तीजूसिंह पिता बुधराम, उम्र—42 साल, जाति बैगा,
 निवासी—ग्राम टाटीघाट थाना बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—14 / 12 / 2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 325, 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—15.12.2012 को रात्रि करीब 08:00 बजे, स्थान कुलुमखारी बोदा थाना बैहर अन्तर्गत लोकस्थान में फरियादी बंशीलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं आहत बंशीलाल को धारदार हथियार लोहे के फरसे से मारकर स्वेच्छया उपहति एवं अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की व फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी बंशीलाल ने दिनांक—16.12.2012 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम कुलुमखारी (बोदा) में रहता है तथा मजदूरी का कार्य करता है। दिनांक—15.12.2012 को गांव की मण्डई थी, रात्रि के करीब 08.00 बजे वह बांसुरी लेकर गांव के सरवन के यहां बैठा बांसुरी बजा रहा था कि इसी बीच वहां पर टाटीघाट का तीजूसिंह बैगा आया और यहां पर बांसुरी क्यों बजाता है, कहकर माँ—बहन की गन्दी—गन्दी गालियाँ देते हुये अपने पास में रखे फरसा की मुधई तथा बेसा से बांये गाल एवं पीठ में मार दिया जिससे उसके बांये गाल, आंख के पास एवं

पीठ से खून बहने लगा। घटना होते हुये सरवन, लक्ष्मी बाई तथा कलीराम ने देखी व सुनी थी तथा बीच बचाव किये थे तब तीजूसिंह उससे कहा रहा था कि वह अगर थाने में रिपोर्ट करने जायेगा तो उसे जान से खत्म कर देखा। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-190/14, धारा-294, 323, 506(बी) भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी तीजूसिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 324, 325, 506बी के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324, 325, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत बंशीलाल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325, 506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-15.12.2012 को रात्रि करीब 08:00 बजे, स्थान कुलुमखारी बोदा थाना बैहर अन्तर्गत लोकस्थान में आहत बंशीलाल को धारदार हथियार लोहे के फरसे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5- फरियादी/आहत बंशीलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि करीब 8-9 बजे ग्राम कुलुमखारी के सरवन के घर की है। घटना दिनांक को वह सरवन के घर उसकी माँ को पहुंचाने गया तो आरोपी ने उसे फरसा से बांधे कंधे पर,

चेहरे के बाये तरफ व कमर में मारा था जिससे खून निकलने लगा। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की थी फिर उसका ईलाज शासकीय अस्पताल में हुआ। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय अन्धेरी रात थी तो सरवन के घर में बैठा था तभी एक आदमी ने उसे अचानक मार दिया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे किसने मारा था, वह पहचान नहीं पाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय बता दिया था कि सरवन के घर के अन्दर से कोई आदमी निकल कर उसे मारा था तथा वह उस आदमी को नहीं पहचानता। इस प्रकार साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसके मुख्य परीक्षण के कथन से विपरीत कथन करते हुये तथा उसकी रिपोर्ट से हटकर विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि उसने उसे मारने वाले व्यक्ति को नहीं देखा था तथा आरोपी के विरुद्ध साक्षी के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है।

6— साक्षी डॉ.एन.एस.कुमरे (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में किया है कि उसने पुलिस द्वारा पेश करने पर बैहर के अस्पताल में आहत बंशीलाल की चोटों का परीक्षण किया था। आहत को आई चेहरे की चोट धारदार वस्तु से आना सम्भावित थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त चोट धारदार पत्थर पर गिरने से आ सकती है। साक्षी के कथन से कथित धारदार वस्तु से आहत बंशीलाल को साधारण उपहति कारित होना मान भी लिया जाये तो भी स्वयं आहत बंशीलाल के द्वारा आरोपी के मारपीट करने से उक्त चोट कारित होने का समर्थन न करने से उक्त चिकित्सीय साक्षी के कथन का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

7— साक्षी ओमकार (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे घटना के समय बंशीलाल ने बताया था कि आरोपी ने उसे फरसा से मारा है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी के बताने पर घटना की जानकारी होना स्वीकार किया है, किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था तथा उसने मारपीट होते हुये भी नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी ने मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में कथन किये हैं जिस कारण उसके कथन का अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

8— साक्षी लक्ष्मी बाई (अ.सा.4) एवं सरवन (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में

बताया है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने घटना का समर्थन नहीं किया है और उनके पुलिस कथन से भी इन्कार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी एल.सी. चौधरी (अ.सा.6) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने फरियादी बंशीलाल की रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 दर्ज किया था। साक्षी ने उक्त अपराध की विवेचना किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने फरियारी व साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख किया है। इस प्रकार साक्षी के द्वारा मामले में की गई अनुसंधान कार्यवाही व प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की गई है।

10— प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादी/आहत बंशीलाल (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपित अपराध के संबंध में घटना का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा अभियोजन की ओर से जिन चक्षुदर्शी साक्षीगण को पेश किया गया है उन्होंने भी घटना के समय आरोपी द्वारा तथाकथित रूप से खतरनाक साधन या धारदार वस्तु के रूप में उपयोग कर कथित मारपीट किये जाने का समर्थन नहीं किया है, बल्कि चक्षुदर्शी साक्षीगण ने उनके सामने घटना होने से भी इन्कार किया है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में आरोपी के विरुद्ध कथित फरसा या अन्य खतरनाक साधन के रूप में उपयोग कर आहत बंशीलाल को स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

11— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी तीजूसिंह ने दिनांक-15.12.2012 को रात्रि करीब 08:00 बजे, स्थान कुलुमखारी बोदा थाना बैहर के अन्तर्गत लोकस्थान में आहत बंशीलाल को धारदार हथियार लोहे के फरसे से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी तीजूसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

12— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13— प्रकरण में जप्तशुदा एक नग लोहे का फरसा बांस का बेसा लगा हुआ

मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट